



IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSION'S JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/53/2023

STATE OF U.P. Vs. Smt Priyanka D/o Rambax

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्तगण श्रीमती प्रियंका राय पत्नी जगभान, रामबक्श पुत्र मानिकलाल, महेन्द्र पुत्र रामबक्श, श्रीमती ममता पत्नी रामबक्श व दीपेन्द्र पुत्र रामबक्श, निवासीगण बी केबिन, टोरिया मंदिर के पास नेहरूनगर, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

यह कि आप अभियुक्त द्वारा वादी के भाई ब्रजेश को ललितपुर में रहने के लिए दबाव डालकर व वादी के भाई पर मुकदमे करके उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी के भाई ने दिनांक 18.10.2018 को रेलवे लाईन, सिद्धन मंदिर के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाए गए आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक-23.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-23.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

IN THE COURT OF DISTRICT AND SESSION'S JUDGE, LALITPUR.

Sessions Case/53/2023

STATE OF U.P. Vs. Smt Priyanka D/o Rambax

23.03.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्तगण तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्तगण द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है तथा उन्हें उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई पर मुकदमे करके तरह तरह से परेशान करके उसे आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किया गया है, जिससे उसके द्वारा ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली गयी। इसलिए अभियुक्तगण पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 306 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 306 भा.द.सं. का आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किया जाता है।

दिनांक-23.03.2023

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।